न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **140/23 (वाद)**

GCMS No. : 2023/415

1. श्रीमती बदामी बाई पत्नी स्वं. श्री माना जी गाडरी, आयु–27 वर्ष, निवासी–गारीयावास घणोली, तहसील–मावली,, जिला–उदयपुर (राज.)
2. सुश्री काजल पुत्री श्री माना जी गाडरी, उम्र–2 वर्ष नाबालिंक जरिये संरक्षक माता बदामी बाई पत्नी स्व. श्री माना जी गाडरी निवासी–गारीयावास घणोली, तहसील–मावली,, जिला–उदयपुर (राज.)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्रीमती लाली पत्नी स्व. श्री माना जी गाडरी, आयु–वयस्क, निवासी–गारीयावास घणोली, तहसील–मावली,, जिला–उदयपुर (राज.)
2. मांगी बाई पुत्री स्वं. श्री माना जी गाडरी, आयु–वयस्क, निवासी–गारीयावास घणोली, तहसील–मावली,, जिला–उदयपुर (राज.)
3. सुश्री गुड्डी पुत्री स्वं. श्री माना जी गाडरी, आयु–7 वर्ष, नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती लाली पत्नी स्व. श्री माना जी गाडरी निवासी–गारीयावास घणोली, तहसील–मावली,, जिला–उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती देउ पत्नी श्री गणेश जी गाडरी, आयु–वयस्क, निवासी–गारीयावास घणोली, तहसील–मावली,, जिला–उदयपुर (राज.)
5. भूमिधारी तहसीलदार मावली, जिला–उदयपुर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 10.02.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौरूषी कृषि भूमि राजस्व ग्राम घणोली पटवार हल्का नामरी तहसील मावली की आराजी नम्बर 544, 548, 549, 1228, 1243/1 किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा स्थित हैं।
2. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

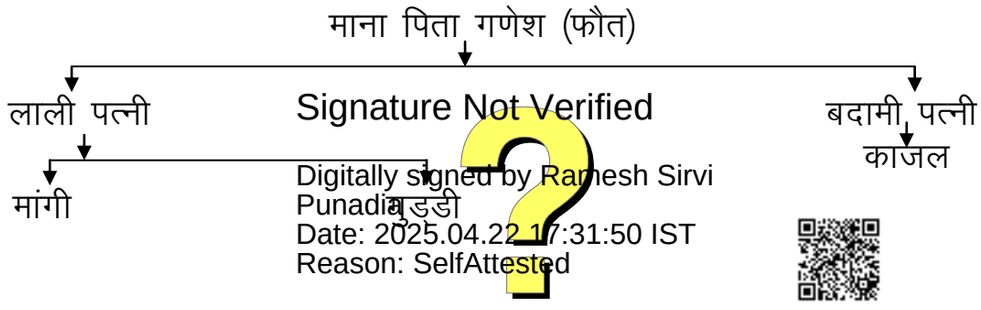

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:50 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त सजरेनुसार माना पिता गणेश गाडरी का निधन अभी हाल ही में हो चुका है माना पिता गणेश गाडरी ने अपने जीवनकाल में वादीया संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 से विवाह किया था इस तरह वादीया ने मृतक खातेदार माना गाडरी के नुत्फ से एक पुत्री को जन्म दिया जिसकी नाम काजल होकर वादीया संख्या 2 है। इसी तरह से मृतक माना ने प्रतिवादीया संख्या 1 से भी विवाह किया था प्रतिवादी संख्या 1 ने माना गाडरी के नुत्फै से दो पुत्रीयो को जन्म दिया जो प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 4 मृतक माना की माता है।

3. यह कि वाद वर्णित भूमि मृतक माना पिता गणेश गाडरी के नाम पर 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वादीया संख्या 1 के पति व वादीया संख्या 2 के पिता माना पिता गणेश गाडरी के खातेदारी की होने से वादीया संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में 1/10 वा हक हिस्सा बनता है तथा वादिया संख्या 2 का भी 1/10 वा हक हिस्सा बनता है। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का 1/10, 1/10 हक हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 का वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार 1/2 हक हिस्सा है।

4. यह कि वादीगण मृतक खातेदार माना के निधन के बाद वादग्रस्त भूमि पर वाद में अंकित हक हिस्से अनुसार बतौर खातेदारी हक से भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा काश्त करते आ रहे है वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को विरासत के आधार पर अपने नाम कराने हेतु नामान्तरकरण ऑथोरिटी को आवेदन किया लेकिन नामान्तरण करण ऑथोरिटी ने एवं हल्का पटवारी ने वादीगण के नाम पर मृतक खातेदार माना पिता गणेश गाडरी के बजाय वादीगण के नाम पर विरासत से भूमि दर्ज करने में आनाकानी कर रहे है तथा प्रतिवादीगण से मिलीभगत करके वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि से वंचित कर रहे है। वादीया संख्या 1 विधवा होकर वादीया संख्या 2 उसकी नाबालिग पुत्री है वादीया के पति माना गाडरी पिता गणेश गाडरी का निधन हो जाने से वादीया के सामने अपने स्वंय का एवं अपनी बच्ची का भरण पोषण करने में काफी संकट उत्पन्न हो गया है जबकि वादीया मृतक खातेदार माना गाडरी की पत्नी है तथा वादीया संख्या 2 मृतक खातेदार माना की जाईन्दा पुत्री है। मृतक खातेदार के नाम पर दर्ज कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:50 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के नाम नामान्तरण नही होने से वादीगण के विधिक अधिकारों पर विपरीत असर पड रहा है। ऐसी स्थिति में वादीगण वाद में वर्णित हिस्सेनुसार वादग्रस्त भूमि में मृतक खातेदार माना पिता गणेश गाडरी के हिस्से की भूमि में अपने खातेदारी हकों की घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी है।

5. यह कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद में वर्णित हक हिस्से अनुसार मौके पर अलग अलग काबिज होकर काश्त करते आ रहे है लेकिन भूमि का विधिक बटवाडा नही होने से वादिगण घोषणा के साथ साथ मिट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर वादग्रस्त भूमि का विधिक बटवाडा कराने के अधिकारी है।

6. यह कि वादीया संख्या 1 विधवा होकर महिला है तथा वादिया सख्या 2 वादिया संख्या 1 की नाबालिग पुत्री है जबकि प्रतिवादीगण सभी एक साथ होकर संख्या में अधिक है वो अविधिक तरीके से वादीगण को वादग्रस्त भूमि से तथा उनके विधिक हक व अधिकारों से किसी भी तरीके से वंचित करने पर आमादा है। हल्का पटवारी को तथा नामान्तरणकरण करने वाले ऑथोरिटी को वादीया के नाम पर वादग्रस्त भूमि नामान्तरित नही करने की मिली भगत कर वादीया को मौके से बेदखल करने की धमकी दे रहे है तथा प्रतिवादीगण किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को वादग्रस्त भूमि को स्थानान्तरित मुन्तकिल आदी करने पर आमादा है तथा वादीगण को अच्छी से अच्छी फ्रन्ट वाली भूमि से वंचित करने पर आमादा है इस तरह वादीगण का प्रथम दृष्टया केस होकर सुविधा संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता/पति के समय की होने से अपूर्णीय क्षति भी वादीगण को ही होने वाली है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के कानूनन अधिकारी है।

7. यह कि वादकारण प्रथम बार दिनांक 27—10—2017 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि अपने नाम पर नामान्तरित कराने हेतु कहा तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने का असफल प्रयास किया। उसके बाद वादकारण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी है।

8. अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री फरमायी जावे कि [illegible] में वर्णित भूमि में मृतक खातेदार माना पिता गणेश गाडरी [illegible] नाम पर द[illegible] हिस्से की भूमि में वादीया संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purohit
Date: 2025.04.22 17:31:50 IST
Reason: SelfAttested

को 1/10 हक हिस्से की तथा वादीया संख्या 2 को भी 1/10 हक हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित फरमाई जावे तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद फरमाया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध शाश्वत निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वो वाद पत्र में वर्णित भूमि को किसी भी तरिके से किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित मुन्तकिल आदी नही करे तथा वादीगण के हक हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण किसी तरह का हस्तक्षेप या दखल अंदाजी नही करे और न ही प्रतिवादीगण भूमि की किसी तरह से प्रकृति परिवर्तित करे तथा वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि में शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमावे। कि वाद वर्णित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हक हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बॉउण्डस के आधार पर विभाजन कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात् न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित करते हुए दस्तावेज के अभाव में वादीगण को माना के विधिक वारिस नहीं मानते हुए वादीगण का वाद खारिज किया गया। जिसकी अपील माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में की गई। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.08.2023 से न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित कर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजो पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। माननीय अपीलीय न्यायालय में वादीगण द्वारा जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत नामरी द्वारा प्रमाणित सजरे की फोटो प्रतियो के आधार पर अपीलान्ट/वादीगण को माना के विधिक वारिस माने हैं। उभय पक्षकारान को माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 23.10.2023 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया था परन्तु प्रतिवादीगण बावजूद सूचना न्यायालय में आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए हैं।

10. अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी [शपथ पत्र] पीडब्ल्यू 1 श्रीमती बदामी पत्नी माना का पेश किया। गवाह वादीया स्वयं द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pumadia
Date: 2025.04.22 17:31:50 IST
Reason: SelfAttested

2072–75 प्रदर्श 1, मानाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, लिखापढी शपथ पत्र बाबत नाता विवाह असल प्रदर्श 3 एवं छायाप्रति प्रदर्श 3ए, बदामी बाई के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श 4, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति प्रदर्श 5, काजल पिता मानाराम के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श 6, ग्राम पंचायत नामरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 करवाये गये।

11. अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बंटवाडे की दाद विड्रो करने का अनुतोष चाहा गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 18.10.2024 को प्रकरण में बंटवाडे की दाद को विड्रो किया जा चुका हैं। अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस दावा सुनी गई।

12. हमने अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी की नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 की खाता संख्या 415 पर दर्ज आराजी नम्बर 544, 548, 549, 1228, 1243/1 किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि माना पिता गणेश व देउ पत्नी गणेश के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण में विवाद केवल मात्र खातेदार माना पिता गणेश के हिस्से तक ही हैं। दस्तावेज प्रदर्श 2 से स्पष्ट है कि खातेदार मानाराम की मृत्यु दिनांक 11.10.2017 को हो चुकी हैं। राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त भूमि का वादीगणो को मृतक खातेदार माना पिता गणेश के वारिस मानते हुए विरासत का नामान्तरकरण पारित नहीं करने से वादीगणों को वाद प्रस्तुत करना पडा। वादपत्र की कलम संख्या 2 में बताये सजरे अनुसार माना पिता गणेश के दो पत्निया श्रीमती लाली एवं श्रीमती बदामी थी। श्रीमती लाली से दो पुत्रिया मांगी व गुड्डी हुई तथा श्रीमती बदामी से एक पुत्री काजल हुई। जिसके समर्थन में वादीया संख्या 1 द्वारा मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र भी पेश किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार विशेष जातियों में (Custom) दूसरा विवाह कर लिया जाता हैं। इस प्रकरण में भी खातेदार माना पिता गणेश द्वारा शादीशुदा होते हुए भी वादीया से नाता विवाह किया गया जिनसे एक पुत्री काजल हुई। बदामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 4, 5 से भी वादीया मृतक खातेदार माना की पत्नी होना ही [illegible] हैं। वादीया संख्या 2 प्रदर्श 6 अनुसार मृतक खातेदार की पुत्री होना प्रतीत होता हैं। जिसको माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purudia
Date: 2025.04.22 17:31:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर अपने निर्णय दिनांक 22.08.2023 में लिखा गया है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् मृतक खातेदार की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पति में विरासत से उसके सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान का बराबर हक हिस्सा निहित होता हैं। अतः वादीगण मृतक खातेदार माना के वारिस होने से मृतक खातेदार के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम कराने के अधिकारी हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा घणोली पटवार क्षेत्र नामरी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 415 पर दर्ज आराजी नम्बर 544, 548, 549, 1228, 1243/1 किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि में मृतक खातेदार माना पिता गणेश के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी संख्या 1 बदामीबाई पत्नी माना को 1/16 हिस्से का, वादी संख्या 2 काजल पुत्री माना को 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 लाली पत्नी माना को 1/16, प्रतिवादी संख्या 2 मांगीबाई पुत्री माना को 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 3 गुड्डी पुत्री माना को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहे।

डिक्री पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भिक डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती बदामी बाई पत्नी स्वं. श्री माना जी गाडरी, आयु–27 वर्ष, निवासी–गारीयावास घणोली, तहसील–मावली,, जिला–उदयपुर (राज.)
2. सुश्री काजल पुत्री श्री माना जी गाडरी, उम्र–2 वर्ष नाबालिंक जरिये संरक्षक माता बदामी बाई पत्नी स्व. श्री माना जी गाडरी निवासी–गारीयावास घणोली, तहसील–मावली,, जिला–उदयपुर (राज.)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्रीमती लाली पत्नी स्व. श्री माना जी गाडरी, आयु–वयस्क, निवासी–गारीयावास घणोली, तहसील–मावली,, जिला–उदयपुर (राज.)
2. मांगी बाई पुत्री स्वं. श्री माना जी गाडरी, आयु–वयस्क, निवासी–गारीयावास घणोली, तहसील–मावली,, जिला–उदयपुर (राज.)
3. सुश्री गुड्डी पुत्री स्वं. श्री माना जी गाडरी, आयु–7 वर्ष, नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती लाली पत्नी स्व. श्री माना जी गाडरी निवासी–गारीयावास घणोली, तहसील–मावली,, जिला–उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती देउ पत्नी श्री गणेश जी गाडरी, आयु–वयस्क, निवासी–गारीयावास घणोली, तहसील–मावली,, जिला–उदयपुर (राज.)
5. भूमिधारी तहसीलदार मावली, जिला–उदयपुर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 140/23 (वाद) GCMS No. – 2023/415

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा घणोली पटवार क्षेत्र नामरी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 415 पर दर्ज आराजी नम्बर 544, 548, 549, 1228, 1243/1 किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि में मृतक खातेदार माना पिता गणेश के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी संख्या 1 बदामीबाई पत्नी माना को 1/16 हिस्से का, वादी संख्या 2 काजल पुत्री माना को 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 लाली पत्नी माना को 1/16, प्रतिवादी संख्या 2 मांगीबाई पुत्री माना को 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 3 गुड्डी पुत्री माना को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.02.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:50 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली